

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 4/2023

प्रार्थी –

राजस्थान सरकार जरिये  
खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. मदनलाल पुत्र मेवीलाल जाति जैन निवासी जैनों का वास, झिनझनियाली, सम जिला जैसलमेर (मैसर्स जिन कुशल जनरल स्टोर, महावीर सर्कल, गडरा चौराहा, बाड़मेर का मालिक)
2. प्रियंका मालू प्रोप्राईटर ऑफ मैसर्स महावीर फूड एग्री फूड इण्डस्ट्रीज, जी-1,254, रीको इण्डस्ट्रीयल बाड़मेर

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भूरचन्द जांगिड़, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 18.06.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 52 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान मैसर्स जिन कुशल जनरल स्टोर, महावीर सर्कल, गडरा चौराहा, बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक 25.01.2023 को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर ब्राण्ड एचसीएम (500 ग्राम पैकेट) जो कि दस थैलियों में भरी हुई थी, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार कुल दो किलो हल्दी पाउडर ब्राण्ड एचसीएम (500 ग्राम पैकेट) वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या पी-1828 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर ब्राण्ड एचसीएम (500 ग्राम पैकेट) का नमूना



वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **हल्दी पाउडर ब्राण्ड एचसीएम (500 ग्राम पैकेट)** का नमूना **मिथ्याछाप (Misbranded)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर प्रकट किया कि विप्रार्थी संख्या 1 उपर्युक्त कार्यवाही किये जाने के समय मौके पर उपलब्ध नहीं था। विप्रार्थीगण को इस प्रकरण में गलत पक्षकार बनाया गया है। खाद्य निरीक्षक द्वारा प्रकरण में की गई एकपक्षीय कार्यवाही स्वतंत्र गवाहों के अभाव में उचित नहीं है। प्रकरण में दर्शाई गई समस्त कार्यवाही परिवादी द्वारा एकपक्षीय रूप से कार्यालय में बैठकर तैयार की गई है। विप्रार्थीगण मात्र एक व्यापारी है जो माल को खरीदकर उसका विक्रय करता है, उसे सही व नकली की परख नहीं है। अगर कोई माल मिथ्याछाप होना पाया जाता है तो उसकी जवाबदारी विप्रार्थीगण की नहीं है। लिहाजा विप्रार्थीगण के विरुद्ध उपर्युक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।
3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **11.02.2023** की प्रति जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उनके द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नहीं की गई है। इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को तलब किये जाने पर अप्रार्थीगण ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर प्रकट किया कि विप्रार्थीगण को इस प्रकरण में गलत पक्षकार बनाया गया है, खाद्य निरीक्षक द्वारा प्रकरण में की गई एकपक्षीय कार्यवाही स्वतंत्र गवाहों के अभाव में उचित नहीं है, प्रकरण में दर्शाई गई समस्त कार्यवाही परिवादी द्वारा एकपक्षीय रूप



से कार्यालय में बैठकर तैयार की गई है एवं विप्रार्थीगण मात्र एक व्यापारी है जो माल को खरीदकर उसका विक्रय करता है, उसे सही व नकली की परख नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा नमूना मिथ्याछाप पाये जाने के लिए अपने प्रतिरक्षण में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब प्रस्तुत नहीं करना मौन स्वीकारोक्ति है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरुद्ध अपराध धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से रूपये 25,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।
5. आदेश आज दिनांक 18.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*(Handwritten signature)*

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर